कार्यालय नगर निगम, कोटा (राज0)

क्रमांकः—ननिको / जनस्वा. / 2015 / 3795 - 3803 दिनांकः— 29/1

विज्ञप्ति

राज्य सरकार के आदेशानुसार नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 की अनुपालना हेतु राज्य के प्रमुख शहरों में "घर—घर कचरा संग्रहण" के क्रियान्वयन किया जाना है। इस क्रम मे नगर निगम के सभी सेक्टर्स के वार्डो में "घर—घर कचरा संग्रहण" का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में उक्त कार्य करने हेतु मोहल्ला विकास समिति, रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी (RWAs), गैर सरकारी संगठन (NGO), अन्य संस्था, व्यक्तिगत प्रस्ताव का नगर निगम में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जाना है। अतः इच्छुक संस्थाओं / व्यक्तियों द्वारा राजीव गाँधी प्रशासनिक भवन नगर निगम कोटा के द्वितीय तल कमरा नं0 303 में स्थिति जनस्वास्थ्य शाखा में रजिस्ट्रेशन हेतु दिनांक 10.02.2015 तक स्वंय उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते है।

इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व सेक्टर के अधीन वार्डो का विवरण नगर निगम की वेबसाइट www.kotamc.org पर देखा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दुरभाष नं0 : 0744—2502345 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम कोटा

क्रमांक :—ननिको / जनस्वा. / 2015 / 3795- 3803 दिनांक :— 29/1/15

प्रतिलिपि :—

1. माननीय महापौर महोदय, नगर निगम कोटा
2. माननीया उपमहापोर महोदया, नगर निगम कोटा
3. निजी सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, नगर निगम कोटा।
4. मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम कोटा।
5. आयुक्त मुख्यालय / विज्ञान नगर / रामपुरा जोन, नगर निगम कोटा।
6. स्वास्थ्य अधिकारी (प्रथम / द्वितीय), नगर निगम कोटा।
7. ई गर्वेन्स प्रभारी को भेजकर लेख है कि नगर निगम की वेबसाईट पर डाले।
8. पुस्तकालय अध्यक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन नियमानुसार दो मुख्य समाचार पत्रों के स्थानीय अंक में प्रकाशित करावें।
9. गार्ड फाइल।

28/1/15

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम कोटा

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक के पास, सी–स्कीम, जयपुर–302005
दूरभाष सं. 0141–2222403, 2222805, वेबसाईट : www.cmar-india.org, ई–मेल : dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : एफ.55 ( )अभि. / सीई / डीएलबी / 2014 / SWM / 11189 दिनांक:22.10.2014

आदेश

विषय :– नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 की पालना हेतु राज्य के प्रमुख शहरों में "Door to Door Garbage Collection" के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में 'स्वच्छता' के प्रति जन जागरूकता उत्पन्न करने एवं साफ–सफाई के लिये 'स्वच्छ भारत अभियान' चलाने हेतु की गई घोषणा के क्रम में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंति 2 अक्टूबर, 2019 से पूर्व सम्पूर्ण भारत वर्ष में सफाई के प्रति आम जन में जागरूकता उत्पन्न करने एवं प्रभावी साफ–सफाई करने की कार्यवाही की जा रही है।

राज्य में शहरों की सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ बनाने के लिये व नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "Door to Door Garbage Collection" करने के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी विभागीय आदेश क्रमांक : एफ. 55 ( )पीए / एसइ / डीएलबी / 04 / 276–458 दिनांक 17.06.2006 को अतिक्रमित करते हुए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं, जिससे जन सामान्य को स्वच्छ वातावरण मिल सके एवं इसके साथ–साथ मौहल्ला / कॉलोनी स्वच्छ, सुन्दर व परिवार स्वस्थ रह सकें।

1. नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 की पालना में घर–घर से कचरा एकत्रित करने के लिये "स्वच्छता मित्र, आपके द्वार" योजना निगम / परिषद / पालिका के सभी क्षेत्रों / एरिया / वार्डो में लागू की जावेगी।
2. इस कार्य के लिये नगर निकायों द्वारा संस्थाओं / व्यक्तियों को सम्बन्धित निगम / परिषद / पालिका में अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड किया जावेगा, जिसका कोई पंजीकरण शुल्क नही लिया जावेगा।
3. घर–घर से कचरा संग्रहण का कार्य करने हेतु इच्छुक संस्थाओं / व्यक्तियों को निम्न वरियता क्रम में कार्य आवंटन किया जावेगा :–
   i. सम्बन्धित वार्ड / क्षेत्र की मोहल्ला विकास समिति / रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी (RWAs)
   ii. गैर सरकारी संगठन (NGO) या अन्य संस्था।
   iii. व्यक्तिगत प्रस्ताव।

D:\DLB\Door to Door Collection\Letter.doc

4. कम से कम 150 से 250 घरों के एक समूह को क्लस्टर (Culster) माना जावेगा। सम्बन्धित वार्ड/मौहल्ला/कॉलोनी में घर–घर कचरा संग्रहण हेतु क्षेत्र के क्लस्टर का निर्धारण सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा किया जावेगा।

5. घर–घर से कचरा संग्रहण कार्य हेतु समाचार–पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जावेंगे तथा किसी एक क्षेत्र/क्लस्टर हेतु एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर संस्था/व्यक्ति का चयन सन्बन्धित नगर निकाय द्वारा लॉटरी पद्धति से किया जावेगा।

6. सम्बन्धित क्षेत्र/क्लस्टर हेतु अधिकृत संस्था/व्यक्ति का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।

7. सम्बन्धित क्षेत्र/क्लस्टर हेतु अधिकृत संस्था/व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से अपने क्षेत्र की सफाई के लिए निःशुल्क रिक्शा ट्रोली/ऑटो ट्रिपर या अन्य कोई साधन उपलब्ध करवाने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। जहां यह संभव नही हो, वहां सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा रिक्शा ट्रोली उपलब्ध करवाई जावेगी।

8. रिक्शा ट्रोली के टूट–फूट/मरम्मत की जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था/व्यक्ति की होगी।

9. रिक्शा ट्रोली पर सफाई कर्मचारी को रखने/हटाने का अधिकार सम्बन्धित संस्था का होगा तथा सफाई कर्मचारी को पारिश्रमिक का भुगतान भी संस्था द्वारा स्वंय के स्तर पर किया जावे।

10. रिक्शा ट्रोली पर कार्यरत सफाई कर्मचारी द्वारा एकत्रित कचरे को नगर निकाय द्वारा निर्धारित कचरा [illegible] पर डाला जावेगा।

11. उक्त कार्य करने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों को नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम [illegible] के प्रावधानों के अनुसार इस कार्य के लिये रिक्शा ट्रोली में सूखे व गीले कचरे के लिये अलग–अलग बिन/डिब्बे रखने होंगे एवं घरों/संस्थानों से सूखा एवं गीला कचरा पृथक–पृथक संग्रहित किया जावेगा।

12. इस कार्य हेतु कर्मचारियों का चयन/प्रबंधन/पारिश्रमिक भुगतान आदि का निर्धारण सम्बन्धित नियमानुसार संस्था/व्यक्ति द्वारा किया जायेगा। इस कार्य में स्थानीय निकाय का कोई दायित्व नही होकर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था/व्यक्ति का होगा।

13. सफाई कार्य के दौरान सफाई कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए नगर निगम/परिषद/पालिका की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

14. घर–घर से कचरा संग्रहण कार्य हेतु अधिकृत संस्था/व्यक्ति द्वारा सफाई कार्य हेतु लगाये गये सफाई कर्मचारियों को नगर निकाय द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड उपलब्ध करवाया जावेगा।

LB\Door to Door Collection\Letter.doc

15. संस्था / व्यक्ति द्वारा किये जा रहे उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्राप्त शिकायत की जांच के पश्चात शिकायत की पुष्टि होने पर संस्था का पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार नगर निगम / परिषद / पालिका को होगा।

16. संस्था / व्यक्ति द्वारा 365 दिवस को घर--घर से कचरा एकत्रित करने का कार्य किया जावेगा।

17. जिस क्षेत्र / वार्ड में अधिकृत संस्था को निवासियों द्वारा कचरा ना देकर सार्वजनिक सड़क / क्षेत्र / रिक्त भूखण्ड में कचरा डाला जाता है अथवा उपभोक्ता द्वारा सहयोग राशि नहीं दी जाती है, तो संस्था द्वारा उस मकान मालिक के नाम की सूची सम्बन्धित वार्ड के स्वास्थ्य निरीक्षक को लिखित में देनी होगी। वार्ड स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा, जांच के पश्चात सम्बन्धित के विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

18. कचरा डिपो के स्थान का निर्धारण इस प्रकार से किया जावे कि कम से कम कंटेनरों की आवश्यकता हो।

19. घर–घर से कचरा संग्रहण हेतु क्षेत्र में निश्चित समय का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जावेगा। सामान्यतः समय प्रातः 7.00 से 11.00 बजे तक निर्धारित किया जावेगा। किन्तु विशेष सफाई के प्रयोजनार्थ स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित समय की पालना सुनिश्चित की जावे। प्रत्येक कचरा संग्रहण कार्यकर्ता की ट्राई साईकिल पर घंटी / भोंपू (जिसकी आवाज अनुज्ञेय मानदण्ड से अधिक ना हो) भी लगाया जावे ताकि कचरा संग्रहण के समय इसे बजाकर निवासियों को सूचित किया जा सकें।

20. व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों / दुकानों से कचरा संग्रहण हेतु सामान्यतः समय प्रातः 9.00 से 12.00 बजे तक रखा जावेगा।

21. 'घर--घर कचरा संग्रहण योजना' के तहत घर--घर से कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार दरें तय की जाती है :--

क्रम सं.	उपभोक्ता की श्रेणी	सहयोग राशि (उपभोक्ता द्वारा) प्रति माह	
		नगर पालिका क्षेत्र / प्रतिमाह	नगर निगम / परिषद क्षेत्र / प्रतिमाह
1.	कच्ची बस्ती क्षेत्र एवं 100 व. मी. से छोटे मकान	30 / -- रूपये	40 / -- रूपये
2.	100 वर्गमीटर से बड़े मकान	40 / -- रूपये	50 / -- रूपये
3.	व्यावसायिक प्रतिष्ठान	50 / -- रूपये	80 / -- रूपये
4.	ढाबे, होटल्स, रैस्टोरेंट, बेकरी आदि	80 / -- रूपये	100 / -- रूपये

22. घर-घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु उक्तानुसार निर्धारित शुल्क प्रत्येक घर से वार्ड/क्षेत्र की अधिकृत संस्था/व्यक्ति द्वारा ही वसूल किया जावेगा। उक्त दरों का संस्था/व्यक्ति द्वारा उचित रीति से प्रचार--प्रसार किया जावेगा एवं दरों को रिक्शा ट्रोली/ऑटो ट्रिपर पर भी प्रदर्शित किया जावेगा। अधिकृत संस्था/व्यक्ति को रिक्शा ट्रोली/ऑटो ट्रिपर पर संस्था/व्यक्ति का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना होगा।

23. संस्था/व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में साप्ताहिक रिपोर्ट संबंधित नगर निगम/परिषद/पालिका के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि को प्रस्तुत करनी होगी।

(पुरुषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ.55 ( )अभि./सीई/डीएलबी/2014/SWM/11190-690 दिनांक :22.10.2014
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, (इन्फ्रास्ट्रक्चर), राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास व स्वायत्त शासन, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
7. जिला कलेक्टर्स (समस्त), राजस्थान।
8. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय, राज. जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव (I&II), नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका (समस्त), राजस्थान।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका (समस्त), राजस्थान।
12. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर, जोधपुर, अजमेर।
13. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर।
15. अतिरिक्त/अधीक्षण अभियन्ता, समस्त नगर निगम (सम्भाग प्रभारी), राजस्थान।
16. अधिशाषी अभियन्ता (जिला प्रभारी), सम्बन्धित नगर निगम/परिषद/पालिका (जिला मुख्यालय), समस्त राजस्थान।
17. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को समस्त समाचार--पत्रों में न्यूज प्रकाशन हेतु।
18. समन्वयक, सिटी मैनेजर्स एसोसियेशन ऑफ राजस्थान (CMAR), निदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
19. सुरक्षित पत्रावली।

2014/10/22
(के. के. शर्मा)
मुख्य अभियन्ता

D:\DLB\Door to Door Collection\Letter.doc

कार्यालय नगर निगम, कोटा (राज0)

क्रमांकः–ननिको/जनस्वा./14/3452-53 दिनांकः– 22.12.14

<u>संशोधित आदेश</u>

नगर निगम कोटा क्षेत्र में पूर्व 15 सेक्टर्स में 60 वार्डो का विभाजन किया गया था किन्तु नगर निगम क्षेत्र के वार्डो के सीमाकन होने के कारण 65 वार्डो हो जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक ननिको/जनस्वा./14/2985–95 दिनांक 09.12.2014 जारी किया गया था। इसमें आंशिक संशोधन किया जा कर सफाई कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्यो की व्यवस्था की दृष्टि से नगर निगम के 65 वार्डो को निम्नानुसार सेक्टर के अधीन किये जाते है।

क्र.सं.	सेक्टर नं0	वार्ड नं0
1	1	10, 11, 35, 36, 37
2	2	12, 13, 38
3	3	14, 15, 16, 34
4	4	1, 2, 3, 18, 19
5	5	17, 40, 41
6	6	42, 43, 44
7	7	39, 45, 64
8	8	20, 21, 46, 65,
9	9	47, 48, 49, 50,
10	10	4, 5, 22, 23, 25, 51, 52
11	11	24, 26, 27, 28, 53, 54
12	12	6, 55, 56, 57, 58
13	13	59, 60, 62, 63
14	14	7, 29, 30, 31, 32,
15	15	8, 9, 33, 61

अतः सबंधित अधिकारी/कर्मचारी उक्तानुसार सेक्टर के आगे अंकित वार्डो अनुसार कार्यवाही सम्पादित करें।

sd/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम कोटा

क्रमांकः–ननिको/जनस्वा./2014/3452-53 दिनांकः– 22.12.14

प्रतिलिपि :–

1. माननीय महापौर महोदय, नगर निगम कोटा।
2. माननीया उपमहापौर महोदया, नगर निगम कोटा ।
3. सबंधित वार्ड पार्षद श्री/श्रीमति/सुश्री .... वार्ड नं..............
4. आयुक्त जोन (मुख्यालय/विज्ञान नगर/रामपुरा जोन) नगर निगम कोटा।
5. अधिशाषी अभियन्ता (निर्माण–प्रथम/द्वितीय/यांत्रिक नगर निगम कोटा।
6. स्वास्थ्य अधिकारी (प्रथम/द्वितीय) नगर निगम कोटा।
7. निजि सहायक ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी , नगर निगम, कोटा
8. कार्यालय अधीक्षक (जनरल) नगर निगम कोटा।
9. समस्त मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक , से.नं............ नगर निगम कोटा।
10. टाईम कीपर (गैरिज) नगर निगम कोटा।
11. गार्ड फाईल।

22/12

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम कोटा